प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 17 दिनांक 25.07.2016

2.अधिनियम पी.सी एक्ट 49/88 धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं –

(क) घटना का दिन सोमवार दिनांक से दिनांक 25.07.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 25.07.2016 समय 02.20 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 06 समय 02.30 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एंव दूरी) पश्चिम लगभग 30 कि0मी0

(ख) पताः–

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)– पटौदी, जिला गुडगांव

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : नरेन्द्र (ख) (पिता/पति का नाम) श्री सुरेश

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) (पता) नरेन्द्र S/o श्री सुरेश R/o गांव नरेहडा, थाना व जिला पटौदी (गुडगांव)

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. HC ब्रहम प्रकाश,
   थाना पटौदी, जिला– गुडगांव।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक सत्यप्रकाश थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव बदस्त सि0 नरेन्द्र कुमार न0 923/मेवात बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई, जिसका मजबून इस प्रकार से है, "सेवा मे, श्रीमान DIG साहब, विजिलैंस गुडगांव श्रीमान जी निवेदन है कि मै नरेन्द्र S/o सुरेश निवासी नरेहडा थाना पटौदी

जिला गुडगांव का निवासी हुँ। मेरा परवेश W/o रामनिवास निवासी नरेहडा के साथ 29.06.16 को आपसी झगडा हो गया था। जिसकी परवेश ने शिकायत थाना पटौदी मे कर दी थी। इस शिकायत की जांच HC ब्रहमप्रकाश कर रहा है। ब्रहमप्रकाश ने मुझे फोन करके थाने मे बुलाया जब की गांव, समाज मे सहमति से श्रीमति परवेश के साथ राजीनामा का फैसला हो गया है और ब्रहमप्रकाश HC ने मुझसे कहा है कि अपना आपसी राजीनामा लेकर आजा और 5000/– उसके साथ ले आ तभी मै आपका फैसला मानूंगा, मेरी HC ब्रहमप्रकाश से कोई आपसी रंजिश नही है और नाहि कोई लेन–देन बकाया है। मेरी शिकायत पर कानूनी कार्यवाही की जावे। हस्ता प्रार्थी नरेन्द्र S/o सुरेश गांव नरेहडा थाना पटौदी दिनांक 25.07.2016 फोन न0 9992426706 है।" कार्यवाही पुलिस– मन निरीक्षक हाजिर राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव हुँ। मुदई नरेन्द्र उपरोक्त ने एक दरखास्त बावत मांगने रिश्वत DIG साहब राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव को पेश की DIG साहब ने आगामी कार्यवाही हेतू उक्त दरखास्त मेरे नाम मार्क की जो दरखास्त के मजबून से सरेदस्त जुर्म 7 PC ACT का सरजद होना पाया जाकर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 नरेन्द्र न0 923/मेवात हवाले की गई और हिदायत दी कि मुकदमा दर्ज करवाकर स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा मे बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। मन निरीक्षक ने आगामी कार्यवाही हेतु एक रैडिंग पार्टी का गठन किया जिसमे उप नि0 सत्यप्रकाश, उप नि0 सुभाष चन्द, स0उ0नि0 सतीश कुमार, स0उ0नि0 महाबीर सिंह, Ct. प्रवीन कुमार 323/FBD को शामिल किया मन नि0 मय रैडिंग पार्टी मय तफतीशी बैग मय लैपटाप बा सवारी गाडी सरकारी Tata Summo HR-68-8353 चालक EHC जोगिन्द्र सिंह रवाना उपायुक्त कार्यालय गुडगांव का होता हुँ। हस्ता अग्रेजी सत्यप्रकाश निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव दिनांक 25.07.16 समय 02:15PM अज थाना :– आमदा तहरीर मुकदमा हजा बा जुर्म दर्ज रजिस्टर किया गया। FIR की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में अफसरान बाला व इलाका मजिस्ट्रेट साहब भेजी जाएगी। एक पर्त FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मजिस्ट्रेट सहाब गुडगांव व DCP गुडगांव व मौका पर I.O. को पहुंचाने बारे इसी आरिन्दा सिपाही नरेन्द्र 923/MWT के हवाले की गई।

हस्ता अग्रेंजी/– कुलवन्त सिंह
थाना प्रभारी का नाम
नाम : कुलवन्त सिंह
पद : निरीक्षक
सख्यां : 55/SR
दिनांक 25.07.16 AT 04.30 PM

POLICE STATION ... Gurgaon Range Gurgaon